

सं. एम(हज)/1183/03/2016

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
(हज प्रभाग)

नई दिल्ली, दिसम्बर 31, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विदेश मंत्रालय केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वशासी निकायों में कार्यरत मुसलिम स्थायी कर्मचारियों से भारत के महा वाणिज्य दूतावास, जेद्दाह, सऊदी अरब में हज तीर्थयात्रियों को **हज-2016 के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिक्स (एलोपैथिक) के रूप में** सहायता प्रदान करने के लिए अस्थायी डेपुटेशन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। अस्थायी/अंश-कालिक/सीज़नल/ठेके पर/तदर्थ आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारी डेपुटेशन के लिए पात्र नहीं हैं। डेपुटेशन की अवधि लगभग 02-03 माह की होगी।

2. पात्रता मानदंड एवं अन्य नियम तथा शर्तें वेबसाइटों: www.mea.gov.in, www.hajcommittee.gov.in और <http://hajimea.nic.in/haj> पर अनुलग्नक-ए में दी गई हैं।

3. आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन भरें जो वेबसाइट <http://hajimea.nic.in/haj> पर उपलब्ध है। ऑनलाइन भरे गए आवेदन फॉर्म की हार्ड प्रति अपेक्षित संलग्नकों के साथ संबंधित सक्षम प्राधिकारी से विधिवत स्वीकृत करा कर मूल रूप में निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए जिसके लिफाफे के ऊपर “**सीजीआई, जेद्दाह के लिए डेपुटेशन हेतु आवेदनपत्र**” अंकित होना चाहिए:

अवर सचिव (हज),
विदेश मंत्रालय
कमरा नंबर 304,
इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ,
वी.के. कृष्णा मेनन भवन,
9, भगवान दास रोड,
नई दिल्ली - 110001

4. डेपुटेशन पर जाने वालों का चयन उनकी सेवा की अवधि, अनुभव और वांछित योग्यताओं के आधार पर किया जाएगा। परन्तु, पुलिस और पैरा मिलिटरी सेवाओं में कार्य करने वाले

उम्मीदवारों को वरीयता प्रदान की जाएगी। उम्मीदवारों के चयन के संबंध में मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में किसी आवेदक से किसी प्रकार के पत्र-व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. चयनित उम्मीदवारों को चयन पत्र की प्राप्ति के तत्काल पश्चात अपने निकटतम क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) पर आधिकारिक पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए। हज प्रभाग आधिकारिक पासपोर्टों की व्यवस्था के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। आरपीओ के विवरण वेबसाइट: <http://passportindia.gov.in/> पर उपलब्ध हैं। चयनित उम्मीदवारों को वीसा फॉर्म भी भरने की जरूरत है जो ऑनलाइन आवेदनपत्र के अनुलग्नक-बी में उपलब्ध है।

6. ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने की **अंतिम तिथि फरवरी 15, 2016** है। अपेक्षित संलग्नकों के साथ ऑनलाइन भरे गए आवेदनपत्रों की हार्ड प्रतियों की प्राप्ति की **अंतिम तिथि मार्च 14, 2016** है।

हस्ता/-

(हरीश चंद्र)

अवर सचिव, भारत सरकार

ई-मेल : ushaj@mea.gov.in

दूरभाष: 011-23386327

प्रतिलिपि -

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
3. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव
4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वशासी निकाय
5. भारत की हज समिति, मुंबई और सभी राज्यों की हज समितियां

विदेश मंत्रालय
(हज प्रभाग)

हज - 2016 के लिए भारत के महा वाणिज्य दूतावास, जेद्दाह, सऊदी अरब के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिक्स (एलोपैथिक) के अस्थायी डेपुटेशन के लिए पात्रता मानदंड और अन्य नियम एवं शर्तें

आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन भरे गए आवेदन फॉर्म की हार्ड प्रति संबंधित सक्षम प्राधिकारी से विधिवत स्वीकृत करा कर मूल रूप में विदेश मंत्रालय के हज प्रभाग को निर्धारित देय तारीख तक भिजवाई जानी है। आवेदक का ध्यान सीसीएस (आचरण नियम), 1964 की धारा 20 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार, "कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के अंतर्गत अपनी सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी उच्च प्राधिकारी पर सहन करने के लिए कोई राजनीतिक या अन्य बाहरी दबाव नहीं डालेगा या डालने का प्रयास करेगा।" मंत्रालय उपर्युक्त वर्णित धारा का उल्लंघन करने वाले आवेदकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकता है।

1. आवेदकों के लिए निर्देश:

अ) आवेदक को ऑनलाइन आवेदनपत्र भरना चाहिए जो वेबसाइट: <http://hajmea.nic.in/haj> पर उपलब्ध है।

आ) ऑनलाइन भरे गए आवेदनपत्र की हार्ड प्रति मूल रूप में निम्नलिखित संलग्नकों के साथ भिजवाई जानी चाहिए:

- I. सक्षम प्राधिकारी से आवेदनपत्र के अग्रपत्र के साथ-साथ आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्धारित फॉर्मेट में प्रमाणपत्र मूल रूप में। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना प्राप्त आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- II. सफेद पृष्ठभूमि में पासपोर्ट आकार की छः रंगीन फोटोग्राफ।
- III. विधिवत अभिप्रमाणित मेट्रीकुलेट/एसएससी प्रमाणपत्र या जन्मतिथि समर्थित कोई अन्य दस्तावेज।
- IV. सरकारी अस्पताल से मेडिकल स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (मूल रूप में)। आवेदक दिल की बीमारी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अस्थमा, और किडनी समस्या आदि सहित किसी

गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत की गई सूचना झूठी या गलत पाए जाने पर प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, भारत सरकार आवेदक पर व्यय की गई पूरी या आंशिक राशि की वसूली कर सकती है।

इ) कृपया नोट करें:

- I. आवेदक को ऑनलाइन आवेदनपत्र भरना चाहिए। आवेदनपत्र/हाथ से लिखे आवेदनपत्र की अग्रिम प्रति, संशोधनों के साथ या संलग्नकों के बिना किसी रूप में अपूर्ण आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। उचित माध्यम के द्वारा विधिवत अग्रेषित न किए जाने वाले अथवा देय तारीख के पश्चात प्राप्त आवेदनपत्रों पर मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
 - II. पूर्व में **तीन या अधिक बार** सीजीआई, जेद्दाह में डेपुटेशन पर भेजे गए आवेदनपत्र नहीं हैं (**डॉक्टरों और महिला फार्मसिस्टों पर यह शर्त लागू नहीं होती है**)।
- ई) अपेक्षित संलग्नकों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकृत आवेदनपत्र फॉर्म की **मूल** हार्ड प्रति निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए जिसके लिफाफे के ऊपर **“सीजीआई, जेद्दाह के लिए डेपुटेशन हेतु आवेदनपत्र”** अंकित होना चाहिए:

अवर सचिव (हज),

विदेश मंत्रालय

कमरा नंबर 304,

इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ,

वी.के. कृष्णा मेनन भवन,

9, भगवान दास रोड,

नई दिल्ली - 110001

2. **पात्रता मानदंड:** अस्थायी/अंश-कालिक/सीज़नल/ठेके पर/तदर्थ आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारी डेपुटेशन के लिए पात्र नहीं हैं।

डॉक्टर:

- आवेदक स्थायी और केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वशासी निकायों में वर्तमान में कार्यरत होना चाहिए तथा मेडिकल ऑफिसर के रूप में न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव रखने वाले आवेदकों से पर्याप्त संख्या में आवेदनपत्र प्राप्त न होने की स्थिति में 2 वर्ष की सेवा वाले आवेदकों की संख्या पर भी विचार किया जाएगा।

- **केवल एलोपैथिक डॉक्टर:** जनरल प्रैक्टिशनर (न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एमबीबीएस), ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, ऑपथामोलोजी, ईएनटी, जनरल मेडिसिन, पुलमोनरी मेडिसिन, रेडियोलोजी, पीडिएट्रिक्स, एनेसथीसिया, साइक्रेट्री, डरमेटोलोजी, पैथोलोजी, कम्युनिटी मेडिसिन, गाइनेकोलोजिस्ट, टीबी और चैस्ट कार्डियोलोजिस्ट तथा पीडिएट्रीशियन के क्षेत्रों से विशेषज्ञ।
- आवेदक की आयु **01.07.2016** को **55 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए। (आवेदक मेट्रीकुलेट/एसएससी प्रमाणपत्र या जन्मतिथि समर्थित कोई अन्य दस्तावेज अवश्य संलग्न करें)।
- वरिष्ठ पदधारी डॉक्टरों, जिनमें प्रोफेसर/रीडर, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट/डिप्टी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट, माइक्रोबायोलोजिस्ट, यूनानी, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक डॉक्टर शामिल हैं, को आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

पैरामेडिक्स:

- आवेदक के पास नर्सिंग/ईसीजी/लैब टेक्नीशियन में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदक स्थायी और केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वशासी निकायों में वर्तमान में कार्यरत होना चाहिए तथा उसके पास न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- फार्मसिस्ट के पास बी.फार्मा डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए।
- आवेदक की आयु **01.07.2016** को **50 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए। (आवेदक मेट्रीकुलेट/एसएससी प्रमाणपत्र या जन्मतिथि समर्थित कोई अन्य दस्तावेज अवश्य संलग्न करें)।
- ऑक्सीलरी नर्सिंग/मिडवइफें आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

3. वांछित शैक्षिक योग्यताएं:

- अरबी और क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को उचित वेटेज दी जाएगी।

अटैचमेंट (एच्छक) जो आवेदनपत्र के साथ संलग्न की जा सकती हैं।

- अरबी भाषा प्रवीणता प्रमाणपत्र

4. वेतन और भत्ते:

- डेपुटेशन अवधि के दौरान भारत के महा वाणिज्य दूतावास, जेद्दाह, में समकक्ष रैंक के भारत-आधारित स्टाफ को यथा देय मूल वेतन, मकान किराया भत्ते और विदेश भत्ते का भुगतान किया जाएगा। उन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा जिन्हें भारत के किसी नगर में सरकारी आवास की सुविधा प्राप्त है।
- सीजीआई, जेद्दाह में डेपुटेशन की अवधि के लिए किसी प्रकार का दैनिक भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।
- डेपुटेशन पर जाने वालों को जेद्दाह जाने और वापसी की इकॉनोमी श्रेणी हवाई टिकट प्रदान की जाएगी।
- चयनित उम्मीदवारों को 20 किग्रा के सामान्य बैगेज भत्ते की पात्रता होगी।
- डेपुटेशन पर जाने वालों को शेयरिंग आधार पर आवास प्रदान किया जाएगा।
- चयनित अधिकारियों को रवानगी से पूर्व आठ दिनों के लिए तैयार/ज्वाइनिंग समय की पात्रता होगी। **परन्तु**, किसी प्रशासनिक आवश्यकता के कारण आवेदक के सऊदी अरब जाने में **असमर्थ रहने** या तैयारी समय के आठ दिनों से अधिक रहने की स्थिति में **कोई भुगतान नहीं** किया जाएगा।
- डेपुटेशन, अर्थात् जेद्दाह से लौटने पर कोई ज्वाइनिंग/तैयारी समय स्वीकार्य नहीं होगा।
- दिल्ली में विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने के लिए किसी वाहन भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- जेद्दाह के लिए जाने और वापसी हवाई यात्रा पर होने वाला व्यय विदेश मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।
- डेपुटेशन अवधि के दौरान वेतन, तैयारी समय तथा सऊदी अरब में आवास पर होने वाला व्यय सीजीआई, जेद्दाह द्वारा वहन किया जाएगा।

5. तैनाती और डेपुटेशन पर जाने वालों की इ्यूटी:

- डेपुटेशन के दौरान डेपुटेशन पर जाने वालों की सेवाएं भारत के महा वाणिज्य दूतावास, जेद्दाह के निपटान पर रहेंगी तथा सीजीआई, जेद्दाह द्वारा उन्हें भारतीय हज तीर्थयात्रियों को सहायता प्रदान करने के कार्यात्मक आधार पर मक्का, मदीना, जेद्दाह में हज टर्मिनल, मिना और अराफात आदि में कैंपों में विभिन्न शाखा कार्यालयों में तैनात किया जाएगा।
- डेपुटेशन की सम्पूर्ण अवधि के दौरान उन्हें भी 24 घंटे इ्यूटी पर माना जाएगा तथा उन्हें आवश्यकता के आधार पर विशेष अवधि के लिए कार्य आबंधित किए जाएंगे। सामान्य देय विदेश भत्ते के सिवाय उन्हें **कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक और प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।**

- तीर्थयात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की उनके मकताबों (Maktabas) और कैम्पों में सहायता करना।
- तीर्थयात्रियों की उनके दैनिक क्रियाकलापों में सहायता करना तथा उनकी शिकायतों पर ध्यान देना।
- हज अनुष्ठान करने में तीर्थयात्रियों की मदद करना।

6. सामान्य शर्तें:

- आवेदक शारीरिक रूप से स्वस्थ, सऊदी अरब में कठोर जलवायु, कठिन रहने की परिस्थितियों तथा लंबे इयूटी घंटों को झेलने में सक्षम होना चाहिए।
- यदि चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर मंत्रालय को रिपोर्ट नहीं करता है, तो रिपोर्ट न करने वाले उम्मीदवार(रों) को किसी प्रकार की सूचना दिए बिना वेटिंग सूची में अगले उम्मीदवार(रों) पर विचार किया जाएगा।
- यदि किसी भी समय उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई सूचना असत्य पाई जाती है, उनकी उम्मीदवारी कैंसल कर दी जाएगी। संबंधित विभाग को उम्मीदवार के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा तथा मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय की वसूली की जाएगी।
- चयनित उम्मीदवार को अपनी पत्नी/पति सहित अपने परिवार के किसी सदस्य को अपने खर्च पर भी साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- चयनित उम्मीदवार को मीडिया के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं होगी। इस शर्त का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप तत्काल वापस बुला लिया जाएगा तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- डेपुटेशन पर जाने वालों को सदा सिविल कपड़ों में रहना चाहिए।
- डेपुटेशन पर जाने वालों द्वारा सौंपी गई इयूटियों को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने में असफल रहने पर उन्हें तत्काल भारत वापस भेज दिया जाएगा तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के साथ-साथ उनके डेपुटेशन पर व्यय की गई सरकारी धनराशि की आंशिक या पूर्ण वसूली की जाएगी।

.....

फोटो

अनुलग्नक-बी
सऊदी अरब एम्बेसी
काउंसलर सेक्रेटरी

पूरा नाम

माता का नाम

जन्म तिथि

जन्म का स्थान

पिछली राष्ट्रियता

मौजूदा राष्ट्रियता

लिंग स्त्री पुरुष

वैवाहिक स्थिति

सम्प्रदाय

धर्म

जारी करने का स्थान

शैक्षिक योग्यता

घर का पता और टेलीफोन नंबर

व्यवसाय का पता और टेलीफोन नंबर

यात्रा का उद्देश्य कार्य यात्रा वीसा हज

जारी करने का स्थान

पासपोर्ट जारी करने की तिथि

पासपोर्ट नंबर

पासपोर्ट समाप्ति की तिथि

किंगडम में रहने की अवधि

आगमन की तिथि

प्रस्थान की तिथि

भुगतान की विधि नकद

चैक नंबर तिथि नंबर

तिथि

संबंध

गंतव्य स्थान

कैरियर का नाम

उसी पासपोर्ट में यात्रा करने वाले आश्रित

.....
संबंध जन्म तिथि लिंग पूरा नाम

कंगडम में कंपनी या व्यक्ति का नाम और पता

अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता है कि ऊपर दी गई सूचना बिलकुल सही है।
मैं किंगडम में अपने निवास की अवधि के दौरान इसके कानूनों से बाध्य हूंगा।

दिनांक: हस्ताक्षर

केवल सरकारी उपयोग के लिए:

दिनांक : ऑथोराइज़ेशन

..... के लिए विजिट/कार्य

दिनांक: वीसा नंबर

फीस जमा की किस्म

काउंसलर सेक्शन के अध्यक्ष